न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा, जिला बिलासपुर (छ0ग0)

ज्ञापन

कमांक / अ / अविअ / वा–2 / 568 / 2025 कोटा, दिनांक [illegible]

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
वनमण्डल
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विषयः– भू–स्वामी के द्वारा आवेदन किये जाने पर वृक्ष की कटाई नहीं किये जाने बाबत्।

सन्दर्भः– आवेदक श्री सुदामा प्रसाद शुक्ला आ0 शारदा प्रसाद शुक्ला निवासी जरहाभाठा बिलासपुर (छ0ग0) द्वारा प्रस्तुत प्ररूप–च दिनाँक 19–09–2024 प्राप्ति दिनांक 24–09–2024।

–0–

आवेदक श्री सुदामा प्रसाद शुक्ला आ0 शारदा प्रसाद शुक्ला निवासी जरहाभाठा बिलासपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा ग्राम रतनपुर तहसील रतनुपर जिला बिलासपुर स्थित खसरा नम्बर 682 / 8, 820, 821, 822 / 1 म में रोपित 375 नग सागौन वृक्ष के कटाई हेतु प्रस्तुत सन्दर्भित प्ररूप–च (कृषि के रूप में रोपित वृक्षों को काटने की पूर्व सूचना हेतु सूचना पत्र) के आधार पर तहसीलदार रतनपुर से जांच प्रतिवेदन लिया गया है।

तहसीलदार रतनपुर द्वारा प्रकरण में प्रतिवेदित किया गया है कि राजस्व अभिलेख बी–1 में कुल 808 सागौन वृक्ष इन्द्राज है, वर्तमान हल्का पटवारी के द्वारा पेश पंचनामा में आवेदक के द्वारा पूर्व भूमिस्वामी द्वारा वृक्षों को रोपित किया जाना बताया गया यद्यपि रजिस्ट्री बैनामा CG-4807422092017014 में 75 सागौन के पेड़ अंकित है। भूमि पर अगर वृक्ष रोपित किये गये थे तो रोपित किये जाने का वन विभाग का वैध रसीद भी पेश नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा न ही राजस्व अभिलेख में त्रुटि सुधार कराया गया, यह भी कि आवेदित भूमि पर आवेदक द्वारा 808 नग सागौन वृक्ष स्वयं के रोपित, पूर्व भूमिस्वामी द्वारा रोपित अथवा प्राकृतिक रूप से उपजे हुए वृक्ष होने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है।

अतः वृक्ष कटाई के नियम, 2022 की कण्डिका 08 के अनुसार भूमि स्वामी द्वारा लिखित में इच्छा व्यक्त किये जाने पर उसके खाते में दर्ज उक्त वृक्षों की कटाई न किया जावे।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोटा, जिला–बिलासपुर (छत्तीसगढ़)